रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 988] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2014/वैशाख 12, 1936
No. 988] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2014/VAISAKHA 12, 1936

पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई , 2014

का.आ. 1196(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (रा.स्त.प.स.नि.प्रा.), गुजरात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :–

1.	श्री प्रमोद के.मिश्रा, आईएएस (सेवा निवृत्त) अध्यक्ष, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, न्यू जीआईडीएम कैंपस, बी/एच पंडित दीनदयाल पैट्रोलियम विश्वविद्यालय, रायसन गांव, जिला गांधीनगर-382 007 ।	अध्यक्ष
2.	प्रो. जी.एच.बान, सह-प्राध्यापक, गवर्मेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, भुज ।	सदस्य
3.	उप सचिव (पर्यावरण), वन और पर्यावरण विभाग, गांधी नगर ।	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित हो ।

4. प्राधिकरण अपने विनिश्चय, पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर आकलन समिति (रा.स्त.आ.स.) की सिफारिश पर करेगी ।

5. केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के लिए गुजरात राज्य सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनने वाली राज्य स्तर विशेष आकलन समिति, गुजरात (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा.स्त.आ.स., गुजरात कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :–

1.	श्री टी.पी.सिंह, निदेशक, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइंफोरमैटिक्स, इंफोसिटी के पास, फन वर्ल्ड के सामने, चैनल "ओ" सर्कल, गांधीनगर ।	अध्यक्ष
2.	श्री नटराजन प्रताप, उप निदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, ई-5, जीआईडीसी इलैक्ट्रानिक्स एस्टेट, सैक्टर-26, गांधीनगर ।	सदस्य
3.	श्री विनोद कुमार चुन्नीलाल सोनी, "लहिरी", अमिधारा फ्लैट्स के पास, जलाराम-2, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट-360007 ।	सदस्य
4.	डा. वी.के.जैन, प्राध्यापक, रसायन विज्ञान विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद ।	सदस्य
5.	डा. निखिल देसाई, पूर्व संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, प्राध्यापक और पूर्व अध्यक्ष, भूविज्ञान विभाग, विज्ञान संकाय, एम.एस.बड़ौदा विश्वविद्यालय, वडोदरा ।	सदस्य
6.	श्री राजेश आई शाह, निदेशक, प्रबंध न्यासी, विकास सेंटर फॉर डेवेलपमेंट, ईशावसयम लाजपतनगर के नज़दीक, ईशीता टावर्स रोड, नवरंगपुरा नवजीवन, अहमदाबाद-380 014 ।	सदस्य
7.	डा. मयूरी एच.पांडया, सहायक प्राध्यापक, सर एल.ए.शाह लॉ कॉलेज, जीएलएस कैंपस, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 052	सदस्य
8.	श्री वीरेन्द्र एन पटेल, जी-503, सामराज्य को-ओपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लि0, मानव मंदिर के नजदीक, मेमनगर, अहमदाबाद-380 052 ।	सदस्य
9.	श्री आर.जे.शाह, 26/279, पूजन अपार्टमेंटस्, जिवराज मेहता अस्पताल के नज़दीक, वसना, अहमदाबाद-380 052	सदस्य
10.	सदस्य सचिव, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।	सचिव

6. रा.स्त.आ.स., गुजरात के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. रा.स्त.आ.स., गुजरात ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित हो ।

8. रा.स्त.आ.स., गुजरात सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्यता पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि मतैक्यता पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

9. गुजरात राज्य सरकार, प्राधिकरण और रा.स्त.आ.स., गुजरात के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित उसे सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन प्रदान करेगी ।

10. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा रा.स्त.आ.स. के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते का गुजरात राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा ।

[सं. जे-11013/23/2007-आई.ए.II(I)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi the 2nd May, 2014

S.O 1196(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of para 3 of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Gujarat (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely: -

1.	Shri Pramod K. Mishra, IAS (Retired) Chairman, Gujarat Institute of Disaster Management, New GIDM Campus, B/h Pandit Dindayal Petroleum University, Raisan Village, District Gandhi Nagar-382007.	Chairman
2.	Prof. G. H. Ban, Associate Professor, Government Engineering College, Bhuj.	Member
3.	Deputy Secretary (Environment), Forests and Environment Department, Gandhi Nagar.	Member-Secretary

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification.

4. The Authority shall, before arriving at its decision, consider the recommendations made by the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5.

5. In order to provide assistance to the Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Gujarat, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Gujarat (hereinafter referred to as SEAC) comprising of the following, namely :-

1.	Shri T.P.Singh, Director, Bhaskaracharya Institute for Space Application and Geoinformatics, Near Infocity, Opposite Fun World, Ch “0” Circle, Gandhi Nagar.	Chairman
2.	Shri Natarajan Pratap, Deputy Director, National Productivity Council, E-5, GIDC Electronics Estate, Sector -26, Gandhi Nagar.	Member
3.	Shri Vinodkumar Chunilal Soni “Lahiri”, Near Amidhara Flats, Jalaram-2, University Road, Rajkot-360007.	Member

4.	Dr.V.K. Jain, Professor, Chemistry Department, Gujarat University, Ahmedabad.	Member
5	Dr. Nikhil Desai, Former Dean Faculty of Science Professor and Former Head, Department of Geology, Faculty of Science, M.S. University of Baroda, Vadodara.	Member
6	Shri Rajesh I Shah, Director, Managing Trustee of Vikas Center for Development, Ishavasyam Opposite Lajpatnagar, Eeshita Towers Road, Navrangpura Navjeevan, Ahmedabad – 380014.	Member
7	Dr. Mayuri H. Pandya, Assistant Professor, Sir L.A. Shah Law College, GLS Campus, Ellisbridge, Ahmedabad-380052	Member
8	Shri Virendra N. Patel, G-503, Samrajya Co-operative Housing Society Ltd., Near Manav Mandir, Memnagar, Ahmedabad-380052	Member
9	Shri R.J. Shah, 26/279, Poojan Apartments, near Jivraj Mehta Hospital, Vasna, Ahmedabad-380052	Member
10	Member Secretary, Gujarat Pollution Control Board.	Secretary

6. The Chairman and Members of SEAC shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification.

8. The SEAC shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The State Government of Gujarat shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority and the SEAC and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority and the Chairman and Members of SEAC shall be paid by the State Government of Gujarat in accordance with applicable State rules.

[No. J-11013/ 23 / 2007- IA.II (I)]
AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.